अपील का प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी

प्रार्थना पत्र धारा 8 / राज. भू. राजस्व

अधि. के जवाब पेश किए / जवाब प्रत्युत्तर

वकील अपीलार्थी को दिलाई गई।

रेस्पोन्डेन्ट सं. 1 श्री राजेन्द्र वकील नहीं आये

गए आदेश में जारी नोटिस आदेश श्री ...

आगामी पेशी तक ...

[illegible] दिनांक

21-11-2017 को पेश हो।

21.11.17 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित बहस सुनी गई। वास्ते निस्तारण दिनांक 27.11.17 को पेश हो।

27.11.17 पत्रावली पेश हुई। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में वादी करमजीत कौर ने दिनांक 15.08.17 को ग्राम पंचायत 182 द्वारा स्वीकृत इंतकाल को चुनौती देते हुए, भूराजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत जगराज सिंह पुत्र जीतसिंह तथा तरसेम सिंह पुत्र दर्शनसिंह को पक्षकार बनाया है। वाद मुताबिक स्वर्गीय दर्शन सिंह ने अपने जीवन काल में वादी से 6.95 लाख रुपये उधार लिये तथा 16.12.14 तक ब्याज भी चुकाया। तत्पश्चात ब्याज व असल न चुकाने पर राज. कृषि उधार निवारण अधिनियम 1957 के तहत ऋण निवारण न्यायालय, श्रीगंगानगर में 10.3.16 को एक वाद पेश किया। वादी के मुताबिक प्रतिवादी

Continuation Note Sheet

संख्या 3 को इस की पूरी जानकारी होने के बावजूद वादी संख्या 2 को उपहार पत्र 17.7.17 को तहरीर करवाकर तसदीक करवा लिया। A1/2

वादी के मुताबिक राज. कृषि उधार निवारण अधिनियम 1957 के धारा 13 के तहत ऐसी कोई भी संपत्ति जिसका वाद धारा 6 के तहत ऋण न्यायालय में चल रहा है, उसका कोई भी हस्तान्तरण ऋण निवारण न्यायालय की सहमति के बिना अवैध होता है। इसी Section 13 की उपधारा (2) के तहत ऋणी के निवास स्थान की क्षेत्राधिकारिता रखने वाले जिला कलक्टर को इस तरह की संपत्ति के हस्तान्तरण को स्वीकृति करने की शक्ति दी गई है।

प्रतिवादी द्वारा बताया कि उक्त प्रकरण में क्षेत्राधिकारिता ऋण निवारण न्यायालय की है जिसमें 21.8.17 को दिये आदेश में स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई भी ऋणी द्वारा किया जाने वाले अन्तरण अपने आप में अनदेखित तथा शून्य होगा। प्रतिवादी द्वारा यह तर्क दिया गया कि इस न्यायालय को न तो क्षेत्राधिकार है न ही कोई वाद कारण तथा वाद को चलाये जाने की आवश्यकता है।

वाद-विवाद का विवेचन किया गया तथा पाया गया कि Rajasthan Relief of Agriculture Indebtness Act 1957 की धारा 13 के तहत हस्तान्तरण को अवैध

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

अपील प्रकरण सं0 13/17 अनवान कामर्शितकौर वि/s ग्रा.प. 182

Continuation Note Sheet

घोषित करने की शक्ति संबंधित सिविल न्यायालय को ही है तथा इस न्यायालय को कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। तथा जब संपत्ति के स्वामी द्वारा किये जाने वाले हस्तान्तरण को अवैध घोषित करने के प्रावधान विशिष्ट रूप से उपलब्ध है अतः राजस्व अधिनियम 1957 के धारा 75 में वर्णित सामान्य प्रबंध स्वतः ही गौण हो जाते है। ऐसी स्थिति में जब इस स्थिति विशिष्ट पर विशिष्ट न्यायालय द्वारा विचारण किया जा चुका है, तब इस न्यायालय को प्रकरण पर विचारण करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। ऐसी स्थिति में प्रकरण खारिज कर दाखिल दफ्तर किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील होकर नंबर से कम हो। पूर्व में जारी स्थगन आदेश भी पत्रावली के खारिज होने के कारण खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 27.11.17 को सरे इजलास सुनाया गया।

(यशपाल आहुजा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर